

न्यायालय उप तहसीलदार तहसील सिधाना जिला सुन्धुन

मु0न0

किरग मु0

रजु दिनांक

निर्णय दिनांक

42/19

धारा 91

18.7.19

06.08.19

उनचान सरकार चनाम सुरेश पुत्र गुलाराम जाति गुर्जर नि0 कुलानिया तहसील सुन्धुन जिला सुन्धुन

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिकमी अनुपस्थित। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पटवारी ने सन्वत् 2076 में इस आशय की रिपोर्ट परस्तुत की है कि ग्राम कुलानिया की राजकीय भूमि गै0मु0 नाला ख0न0 234 रकबा 0.03 किरग गै0मु0 नाला मे से 0.03 है0 भूमि पर अतिकमी सुरेश पुत्र गुलाराम जाति गुर्जर नि0 कुलानिया तहसील सुन्धुन ने आवेद्य रूप से ग्वार करस्त कर अनाधिकृत अतिकमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलव किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिकमी उपस्थित हुआ। प्रा0पत्र पेश किया गया जो पत्रावली शागील किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिकमी द्वारा किया गया अतिकमी जो कबिज नियमन नहीं है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतः उपर अतिकमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिकमी घोषित किया जाता है। व जैर वहरा रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अतिकमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये ग्वार की फसल कर के दण्ड स्वरूप अतिकमण शुदा भूमि के लगान 0.21 की 50 गुणा जुर्माना राशि 11 /- रु बतौर शारित कायम किये जाते हैं।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0अ0नि0/पटवारी हल्का को चारते जमा कायमी/वेदखली/ वसुली/ कर राशि राज कोष में जमा करवाने हेतु लिखा जावे। भू0 अ0नि0 को राजकीय भूमि से अतिकमीत भूमि से चारतविक रूप से वेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली चार तकमील तागिल दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम होकर दर्ज फौसला हो।

आज दिनांक 06.08.19 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

नायब तहसीलदार

न्यायालय के मुकदमे नं० ४२/१९
०६/०८/१९
के कायम दफ्ते

डॉ. राजेश कुमार